न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 20/2013

RCMS No. 2013/00047

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 जगदीशचन्द्र पुत्र रेवाशंकर जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी गुडा प्रेमसिंह		1. ग्राम पंचायत रडावास पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन 2. नारायणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा प्रेमसिंह हाल ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत धनला पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री पी0एम0 जोशी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहनलाल वर्मा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रडावास द्वारा मिसल संख्या 8/2004–2005, संकल्प संख्या 4 दिनांक 06.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6008 दिनांक 06.11.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का पैतृक मकान ग्राम गुडा प्रेमसिंह में स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 27/88–89 दिनांक 02.05.1988 को प्रार्थी के पिता रेवाशंकर के नाम से बना हुआ है। उक्त मकान की उत्तरी भुजा 47 फीट, दक्षिणी भुजा 44 फीट तथा पूर्वी एवं पश्चिमी भुजा 40–40 फीट है। उक्त मकान के उत्तर में बद्रीलाल पुत्र जटाशंकर, दक्षिण में जीवराज पुत्र भैरूलाल, पश्चिम में आम रास्ता तथा पूर्व में इन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह का नोहरा स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के पट्टे के पूर्वी हिस्से की 40x12 वर्गफीट की भूमि स्वयं की बताते हु ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर अप्रार्थी, उसके भाई, ग्राम सेवक एवं तत्कालीन सरपंच को

अति० जिला कलक्टर, पाली

अपराधी मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 बी. के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन के समक्ष चालान प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित होने के कारण ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि में से कुछ हिस्से की भूमि का पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम जारी हो चुका था। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी हुआ है, उसके उत्तर दिशा में उसके भाई कमलसिंह का मकान, जिसकी उत्तरी भुजा 33 फीट व दक्षिण दिशा में उसके भाई समन्दरसिंह के मकान, जिसकी भुजा 33 फीट होना बताया है। इससे अधिक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी का परिसर पट्टा सुदा होने के साथ साथ निर्माणसुदा भी है। जिस पर प्रार्थी का पक्का निर्माण मौजूद है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र दिखावटी कार्यवाही की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें वांछित भूमि के पडौस अवश्य अंकित किये, किन्तु उन पडौस की भुजाओं का नाप अंकित नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचों की कमेटी को मनोनीत अवश्य किया, किन्तु जिन वार्ड पंचो के मौका रिपोर्ट पर हस्तक्षर है, उनमें से दो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत ही नहीं किया। पत्रावली में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह कब जारी किया एवं किस स्थान पर चस्पा किया, यह उल्लेख नहीं है। पत्रावली में ग्राम सेवक की जो रिपोर्ट संलग्न की गई है, वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि मौके पर पट्टा जारी करने हेतु इतनी भूमि उपलब्ध ही नहीं थी। इस कारण ग्राम सेवक द्वारा विधि विरूद्ध रूप से नक्शा तैयार किया गया है। जिन गवाहो ने बयान कलमबद्ध करवाये है, उनमें बयानों में भी भूमि का क्षैत्रफल अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458, आर0एल0आर0 1996 (1) पेज 27, आर0एल0आर0 2004 (1) पेज 237, डी0एन0जे0 2009 (1) पेज 262, डी0एन0जे0 (राज.) 2005 (2) पेज 693, डी0एन0जे0 (राज.) 2003 (1) पेज 449, डी0एन0जे0 (राज.) 2016 (3) पेज 1202, डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 672, आर0एल0आर0 (राज.) 1994 (1) पेज 631, डब्ल्यू0एल0एन0 1979 पेज 8, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 136, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, डी0एन0जे0 (राज.) 2017 (2) पेज 668, डी0एन0जे0 (राज.) 2017 (2) पेज 730, आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 478, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 136 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर अपील वादस्थ भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का रहवासीय मकान स्थित है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत द्वारा उतनी ही भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान किया है, जितनी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का मकान बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 2 की पट्टासुदा भूमि है। प्रार्थी इस निगरानी के मार्फत अपने अधिकार तय करवाना चाहते है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सक्षम सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। पंचायत द्वारा समस्त नियमों की विधिवत पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रडावास द्वारा मिसल संख्या 8/2004–2005, संकल्प संख्या 4 दिनांक 06.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6008 दिनांक 02.05.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रसतुत किया, जिस पर दिनांक 22.02.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर पत्रावली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 06.09.2004 की आदेशिका अनुसार वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंच श्री जोगसिंह राजपूत, श्री कूपाराम चौधरी एवं श्री चुन्नीलाल नायक को नियुक्त किया गया तथा सचिव को नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। मिसल के नक्शा संलग्न है, जिसमें वांछित भूमि को दर्शाया गया है, जिसकी उत्तर एवं दक्षिणी भुजा 45 फीट–45फीट तथा पूर्वी एवं पश्चिमी भुजा 48–48 फीट अंकित है। वांछित भूमि के उत्तर में कमलसिंह का मकान, दक्षिण में समुन्द्रसिंह का मकान, पूर्व में आम गली व निकास एवं पश्चिम में सत्यनारायण का प्लॉट दर्शाया है। इस प्रकार वांछित भूमि की पश्चिमी भुजा के जो पडौस अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वार्ड पंचो की रिपोर्ट में नियुक्त पंचो में से मात्र चुनीलाल के हस्ताक्षर है तथा दो पंचो के हस्ताक्षरों का अभाव है, जो आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस रिपोर्ट को पंचायत द्वारा स्वीकार करते हुए आगामी

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

कार्यवाही की गई, जो विधि सम्मत नहीं है। यदि मनोनीत पंचो की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, तो पुनः रिपोर्ट हेतु पत्रावली नियत की जानी थी, जो नहीं की गई। इसके पश्चात मिसल की आदेशिका दिनांक 21.09.2004 में यह अंकित किया गया कि प्रार्थी के मकान का मौका निरीक्षण किया गया है, जो करीब 20–25 वर्ष पुराना पुश्तैनी बना हुआ है। जबकि ऐसा टिप्पणी मौका रिपोर्ट में अंकित ही नहीं है। इसके पश्चात एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.09.2004 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, किन्तु किस स्थान पर, किन स्वतन्त्र साक्ष्यों की उपस्थिति में चस्पा किया गया, यह स्पष्ट नहीं होता है। दिनांक 27.10.2004 को किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बयान लिये जाकर मिसल आयन्दा पेश करने के आदेश पारित किये। इस पर गवाह शेरसिंह एवं गवाह जगदीशसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये, जिन्होने वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का मकान बना होना स्वीकार किया। इसके पश्चात दिनांक 06.11.2004 को आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा जारी कर नियम 157 के तहत 200/– रूपये जमा होने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये। हालांकि प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन अवश्य हुआ है, जिनका विवेचन आगे किया जावेगा, किन्तु प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से अपनी निगरानी के जो आधार लिये गये है, उसके अनुसार जैर निगरानी वादस्थ भूमि में प्रार्थी के पट्टे के पूर्वी हिस्से की 40x12 वर्गफीट समाहित होती है, जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे की पश्चिम दिशा में स्थित है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टा संख्या 27/88–89 दिनांक 02.05.1988 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी जैर निगरानी पट्टे का तुलनात्मक अवलोकन किया जाता है, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टे की पूर्वी भुजा 60 फीट अंकित है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पट्टे की पश्चिमी भुजा 48 फीट है। निगरानी के संलग्न अनुसूची में नजरी नक्शे के रूप में भूमियों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रार्थी के रहवासीय मकान के पट्टे की पश्चिमी सीमा में 40x12 वर्गफीट भूमि पर जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महोदय मारवाड़ जंक्शन के समक्ष जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसका एवं दौराने अनुसंधान पुलिस द्वारा जो मौका नक्शा मुर्तिब किया, का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जासुदा भूमि से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टे की भूमि समाहित होती है, जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टे की हद तक अपास्त योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, रडावास द्वारा मिसल संख्या 8/2004–2005, संकल्प संख्या 4 दिनांक 06.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6008

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

दिनांक 02.05.1988 की पश्चिमी भुजा के समानान्तर 40x12 वर्गफीट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा पंचायत रडावास को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार पट्टे में संशोधन की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली